

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2017—माघ 14, शक 1938

## भाग ४

विषय-सूची

- |     |                        |                               |                                  |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल  
पंचम तल, "मेट्रो प्लाजा" बिट्टन मार्केट, भोपाल—462016

अंतिम विनियम

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्रमांक 125-म.प्र.वि.नि.आ.-2017.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (1) तथा धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (जेड डी) तथा (जेड आई) के साथ पठित धारा 61 के खण्ड (एच) तथा धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) तथा इस निमित्त अन्य समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015 में प्रथम संशोधन  
[ एजी-39 (i) वर्ष 2017 ]

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 1.1 यह विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015" [एजी-39 (i) वर्ष 2017] कहलायेगा.

1.2 यह विनियम मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगा.

1.3 यह विनियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होगा.

## 2. संशोधन :-

उक्त विनियमों में,-

## 1. विनियम 2 में, खण्ड (थ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(थ) “परिसर” से अभिप्रेत है, कोई भूमि, भवन या संरचना या उसका भाग या उसका संयोजन जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जहां नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई है, विद्युत् के प्रदाय के मापन हेतु पृथक् मापयंत्र (मीटर) या मापन व्यवस्थाएं की गई हैं । परिसरों के प्रयोजन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना आनुषंगिक होनी चाहिए तथा परिसरों की प्राथमिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए ।” ।

## 2. विनियम 3 में, खण्ड (क) में, अंक, अक्षर तथा शब्द “निम्न दाब पर 112 किलोवाट” के स्थान पर, अंक, अक्षर तथा शब्द “उच्च दाब पर 1 मेगावाट” स्थापित किए जाएं ।

## 3. विनियम 4 में, -

(1) प्रथम परंतुक का लोप किया जाए ।

(2) द्वितीय परंतुक में, शब्द “यह और कि” का लोप किया जाए ।

(3) तृतीय परंतुक में, शब्द “और भी” के स्थान पर, शब्द “और कि” स्थापित किए जाएं ।

## 4. विनियम 5 में, परंतुक में, चिन्ह, अंक तथा शब्द “15 प्रतिशत” के स्थान पर, चिन्ह, अंक तथा शब्द “30 प्रतिशत” स्थापित किए जाएं ।

## 5. विनियम 12 में, उन-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(1) निम्न दाब तथा उच्च दाब प्रणाली के लिए मापन व्यवस्था केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (मापयंत्रों की स्थापना तथा संचालन) विनियम, 2006 यथा संशोधित के अनुसार होगी ।” ।

आयोग के आदेशानुसार,  
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

**Bhopal, 20/01/2017**

No. 125/MPERC/2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 181 and clause (zd) and (zi) of sub-section (2) of section 181 read with clause (h) of section 61 and clause (e) of sub-section (1) of Section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grid connected Net Metering) Regulations, 2015, namely :-

**First Amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grid connected Net Metering) Regulations, 2015**

**[AG-39(i) of 2017]**

1. **Short Title and Commencement-** 1.1 This amendment shall be called Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grid connected Net Metering) (First Amendment) Regulations, 2015[AG-39(i) of 2017].”

1.2 It shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

1.3 It shall be effective from the date of their publications in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

**2. Amendments :**

In the said Regulations,-

1. In Regulation 2, for clause (q), the following clause shall be substituted, namely :-

"(q) 'Premises' means any land, building or structure or part thereof or combination thereof, wherein a separate meter or metering arrangement has been made by the licensee for measurement of supply of electricity where a Renewable Energy System is set up. The setting up of the Renewable Energy System should be ancillary to the purpose of the Premises and should not be the primary activity of the Premises;"

2. In Regulation 3, in clause (a), for the figure, letters and word "112kW at LT", the figure, letters and word "1MW at HT" shall be substituted.

3. In Regulation 4,-

(1) first proviso shall be omitted.

(2) in second proviso the word "further" shall be omitted.

(3) in the third proviso, for the word "also", the word "further" shall be substituted.

4. In Regulation 5, in the proviso, for the figure and sign "15%", the figure and sign "30%" shall be substituted.

5. In Regulation 12, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

"(1) The metering arrangement for LT and HT system shall be as per the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 as amended."

By order of the Commission  
SHAIENDRA SAXENA, Commission Secy.